# न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

## रा0विविध वाद सं0– 01/2014–15

## बिगावन साव बनाम् फिरोज हक एवं अन्य वगैरह

## आदेश

| Serial No. | Date of Order of Proceding | Order with signature of the court | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| | 23/9/22 | अभिलेख उपस्थापित।<br>अंचल अधिकारी, रमकण्डा द्वारा यह वाद उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 581 दिनांक 06.09.2014 के आलोक में अभिलेख संधारित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु उनके न्यायालय में भेजा गया था। जो दिनांक 17.05.2016 को मूल अभिलेख इस न्यायालय को वापस के पश्चात सुनवाई प्रारम्भ की गई। अंचल अधिकार, रमकण्डा द्वारा आदेश फलक में यह उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 1593 रकबा– 0.18 ए0 भूमि प्रथम पक्ष विगावन साव पिता– स्व0 तपेश्वर साव केवाला सं0– 8561 दिनांक 30.12.1974 को विकेता सलील मियां पिता– स्व0 क्यामत मियां से क्रय किये है। जिसका दाखिल खारीज नहीं हुआ है विकेता सलील मियां की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र मयुनुदीन अंसारी, बदरूदीन अंसारी, मिरजाहसन अंसारी वो इमामुदीन अंसारी के द्वारा केवाला सं0– 2705 एवं 2706 दिनांक 30.03.2011 को क्रमशः मो0 मुस्ताक मंसूरी पिता– स्व0 अमीनुल्लाह मंसूरी एवं फिरोजहक पिता– मो0 नईम के द्वारा खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 1593 रकबा– 0.09 ए0 एवं 0.09 ए0 यानी (नौ नौ) डिसमिल भूमि क्रय किये है। जिसका दाखिल खारीज होकर ग्राम– रमकण्डा के मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0– 180/3 एवं 181/3 पर मांग कायम है। जिसका अंचल अमीन से दोनों पक्ष एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में उक्त भूमि का सिमांकन कर स्थल पर पत्थर गडवा दिया तथा ट्रेस नक्शा भी काट दिया गया है।<br>प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रथम पक्ष अपने नामें दाखिल खारीज कराने हेतु अंचल कार्यालय, रमकण्डा में जाते रहे लेकिन टाल–मटोल के कारण | |

मांग पंजी में नाम दर्ज नहीं हो सका। जिसका फैदा उठाकर द्वितीय पक्ष उक्त भूमि को जालसाजी के तहत रजिस्ट्री करा लिया एवं अंचल के अमलाओं को प्रभाव में लाकर रसीद निर्गत करा लिया। जो अवैध है। प्रथम पक्ष विगावन साव द्वारा दाखिल खारीज कराने के संबंध में उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के न्यायालय में आवेदन पत्र समर्पित किया गया। जिसमें कहा गया कि मैंने वर्ष 1974 में ग्राम रमकण्डा में खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 1593 रकबा– 0.18 ए0 भूमि सलील मियां पिता– स्व0 कायामत मियां से रैयती भूमि क्रय किया हूँ जिस पर मेरा कब्जा है। किसी कारण वश उक्त भूमि का नामांतरण नहीं करा पाया। जब मैं अंचल कार्यालय गया तो बताया गया कि उक्त भूमि की नामांतरण द्वितीय पक्ष के नाम से करा दिया गया है। अनुरोध किया गया है कि मेरी खरीदगी भूमि का दाखिल खारीज मेरे नामें कराया जाय एवं अवैध दर्ज की गई मांग को रद करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित तर्क दिया गया है जिसमें बताया गया है कि वर्णित भूमि मौजा रमकण्डा थाना– रमकण्डा के खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 1593 रकबा कमशः 0.09 ए0, 0.09 ए0 यानी (नौ नौ) डिसमिल रजिस्ट्री केवाला द्वारा द्वितीय पक्ष दिनांक 30.03.2011 को मैनुदीन अंसारी, बदरूदीन अंसारी, मिरजाहसन अंसारी वो इमामुदीन अंसारी पिता– स्व0 सलील मियां ग्राम रमकण्डा थाना– रमकण्डा जिला– गढ़वा से खरीद किया है। द्वितीय पक्षों के द्वारा अपने नामें दाखिल खारीज कराकर मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे है एवं उक्त भूमि पर खरीदगी के तिथि से ही दखल काबिज है एवं वर्तमान में विपक्षीगण के नामें ऑनलाईन रसीद भी निर्गत हो चुका है।

आवेदक विगावन साव द्वारा कहा गया है कि निबंधित केवाला सं0– 8561 दिनांक 30.12.1974 के माध्यम से सलील मियां पिता– कयामत मियां से खरीद किया है। परन्तु किसी कारणवश दाखिल खारीज नहीं करा सका है। अगर आवेदक का प्रस्तावित भूमि पर कब्जा होता तो हाल सर्वे 1977 में प्रारम्भ हुआ जबकि ओवदक के द्वारा 1974 में खरीदी के बात कही गयी है तो पलामू बंदोबस्ती नियमावली के खण्ड–1 के पृष्ट सं0– 46 में खतियान स्तम्भ के मंतव्य के अनुसार केवाला द्वारा खरीदी भूमि अगर दाखिल खारीज भी नहीं हुआ हो तो खतियान में इंदराज हुआ होता। जबकि विगावन साव का कहीं नाम अंकित नहीं है और ना ही कभी दखल कब्जा प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 101 दिनांक 02.08.2014 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम रमकण्डा

के खाता सं0–28 प्लॉट सं07 1593 रकबा– 0.18 ए0 भूमि बिकी किया गया है। पुनः उसी भूमि को मांगधारी के पुत्र केवाला सं0– 2705 एवं 2706 दिनांक 30.03.2011 रकबा कमशः 0.09 ए0 एवं 0.09 ए0 कुल रकबा– 0.18 ए0 भूमि विकेतागण मईनुदीन अंसारी, बदरूदीन अंसारी, मिराज हसन अंसारी वो इमामुदीन अंसारी पिता– स्व0 सलीम मियां रमकण्डा द्वारा बिकी किया गया है। उक्त भूमि के केता मो0 मुस्ताक मंसूरी पिता– अमीनुल्लाह मंसूरी खाता सं0– 28 प्लॉट सं0– 1593 रकबा– 0.09 ए0 दाखिल केश सं0– 19/2011–12 के द्वारा दाखिल खारीज कराकर मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0– 180/8 एवं केता फिरोज हक पिता– नईम को दाखिल खीज केश सं0– 20/2011–12 मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0– 181/8 पर मांग कायम किया गया है तथा स्थल जॉच प्रतिवेदन दिनांक 12.08.2015 के द्वारा भूमि का जॉच अंचल अमीन, हल्का कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक पक्ष विपक्ष, चौहदीदार रैयतों एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। सभी व्यक्तियों का हस्ताक्षर लिया गया है। सभी उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि विगावन साव का कभी भी उक्त भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। जॉच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है।

अतः न्यायालय सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत तथा अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षकारों द्वारा संलग्न कागजातों का अवलोकन उपरांत न्यायालय यह पाती है कि आवेदक का वर्णित भूमि पर दखल प्राप्त नहीं है। इस परिस्थिति में ओवदक का आवेदन को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

23.09.22

उपं समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.29 17:16:04 +05:30
Location: 192.168.238.59